

17-10-24

पत्रावली पेश हुई। वादी- जगदीश आदि-
उप-। पत्रावली में वादी अधिवक्ता को साक्ष्य
उत्तर कले हेतु न्यायालय में प्रतिम अवसर
दिनांक 11/11/24 को पेश हो।
की साक्ष्य पेश नहीं कले जा साक्ष्य वादी फरतः
बंद समझा जावे। पत्रावली वादी साक्ष्यवादी
दिनांक 11/11/24 को पेश हो।

8/11/24

5/11/24

पत्रावली पेश हुई। वादी- अधिवक्ता उप-। वादी अधिवक्ता
को साक्ष्य उत्तर कले हेतु 100 रु की छत पर प्रतिम
अवसर दिनांक 2/12/2024 को पेश हो।
दिनांक 2/12/2024 को पेश हो।

8/11/24

5/11/24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष आदि 340
प्रकरण शाब्दिक अधिवक्ता में दिनांक 13/11/24
को पेश हो

13/11/24

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार
एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया
हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय
कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली साक्षिक आदेश
दिनांक 8/11/24 को पेश हो।

आज्ञासेरीकर

8/11/25

पत्रावली पेश हुई। वादी साक्ष्य- उप-। वादी
जब साक्ष्य उत्तर कले हेतु पर्याप्त अवसर
दिने जाने के उपरान्त भी साक्ष्य की साक्ष्य पेश
नहीं किया जावे है। वादी द्वारा पर्याप्त
अवसर दिने जाने के बावजूद भी साक्ष्य पेश
नहीं किने जाते हैं। वादी अपना वाद साक्ष्य
कार्य में असमर्थ रहा है। अतः वादी द्वारा
उत्तर वाद अनगति द्वारा 88, 89, 188 शब्द-
कार्यकारी अधिवक्ता को साक्ष्य कले में
बीफल रहने के कारण जाति किना जाता
है निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उक्ति
पेश जारी हो। पत्रावली न्यायालय शुभा होकर
कार्यवाही दफ्तर से लंबा नम्बर से कम हो।

8/11/25
सहायक कलेक्टर
मीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. मूला पुत्र गोपीजी जाति जाट आयु 57 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 4 पार्क के पास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा वादी

बनाम

1. बालू पुत्र गोपीजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी वार्ड नम्बर 4 पाके के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. डालचन्द पुत्र घीसा जी जाति खारोल आयु वयस्क निवासी वार्ड नम्बर 4 पाके के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रामलाल पुत्र घीसा जी जाति खारोल आयु वयस्क निवासी वार्ड नम्बर 4 पाके के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. रामसुख पुत्र घीसा जी जाति खारोल आयु वयस्क निवासी वार्ड नम्बर 4 पाके के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. कन्हैयालाल पुत्र मोती जी खारोल आयु वयस्क निवासी वार्ड नम्बर 4 पार्क के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. गोपाल पुत्र मोती जी खारोल आयु वयस्क निवासी वार्ड नम्बर 4 पार्क के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. प्रेम पुत्री मोती जी खारोल आयु वयस्क निवासी वार्ड नम्बर 4 पार्क के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. कमला पुत्री मोती जी खारोल आयु वयस्क निवासी वार्ड नम्बर 4 पार्क के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. समता पुत्री मोती जी खारोल आयु वयस्क निवासी वार्ड नम्बर 4 पार्क के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. फूमा बेवा मोती जी खारोल आयु वयस्क निवासी वार्ड नम्बर 4 पार्क के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 234/2010 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत उपस्थित — इस वाद में आज तारीख 08.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को साबित करने में विफल रहने के कारण उक्त वाद खारिज किया जाता है।


8/1/25
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा